न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 66 सन् 2016
पंजीयन दिनांक 03.03.2016

रतनलाल पिता गणेश जाति जाट निवासी पावटिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़

-अपीलांट

विरूद्ध

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर जिला चित्तौड़गढ़
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन
प्रकरण संख्या 213/2011 वाद निर्णय एवं आदेश दिनांक 01.06.2015

उपस्थित– 1. शिवनारायण जाट-अधिवक्ता अपीलान्ट
2. पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2

निर्णय **दिनांक 20.12.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट वादी ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मोजा पावटिया तहसील कपासन की आराजी नम्बर 153 रकबा 0.47 हैक्टेयर कृषि भूमि अपीलान्ट वादी की खातेदारी मे अवस्थित है। भू-प्रबन्ध के दौरान भू-प्रबन्ध अधिकारियो द्वारा अपीलान्ट वादी की कृषि आराजीयात के नक्शे मे परिवर्तन कर नक्शे मे कम करते हुए उपरोक्त कृषि आराजी के साबिक आराजी नम्बर 79 व 80 के मुकाबले मे नक्शे मे इन्द्राज नही किया, एवं पश्चिम उत्तरी दिशा के लाईन मे परिवर्तन कर दिया। जिससे अपीलान्ट वादी की कृषि आराजीयात नक्शे मे परिवर्तित होकर नक्शे मे कम दर्ज हो गई। साबिक नक्शे के अनुसार इन्द्राज दुरस्ती की जावे।

उक्त आश्य का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित होकर जवाबदावे हेतु अवसर चाहा गया। दिनांक 27.11.12 को पैरोकार सरकार की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिस पर पत्रावली वास्ते तनकियात विचाराधीन थी, जिसमे आगामी पेशी दिनांक 08.09.2015 नियत थी, उससे पूर्व उक्त पत्रावली दिनांक 01.06.2015 को राजस्व लोक अदालत मे नियत की गई। बिना किसी लिखित राजीनामे के बिना साक्ष्य व सबुत के पत्रावली मे राजस्व लोक अदालत के तहत निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट वादी का वादपत्र प्रमाणित होना नही मानते हुए वादपत्र निरस्त किये जाने के निर्णय व आदेश पारित किये।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट वादी ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की।

अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील म्याद बाहर होने से अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर अपील अपीलान्ट वादी पंजीबद्ध की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण जरिये राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपीलान्ट वादी की ओर से अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र मे वर्णित तथ्य विश्वसनीय व स्वीकार योग्य होने से अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट वादी अन्दर म्याद ली जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट वादी ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे जवाबदावा प्रस्तुत किया। पत्रावली वास्ते कायमी तनकियात विचाराधीन थी जिसमे तारीख पेशी 08.09.2015 नियत थी, उससे पूर्व उक्त पत्रावली दिनांक 01.06.2015 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट पावटिया मे नियत की गई। अपीलान्ट वादी भी राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट पावटिया मे उपस्थित हुआ जिसके आदेशिका मे हस्ताक्षर करवाये गये। पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नही हुआ था। ऐसी स्थिति मे उक्त पत्रावली पुनः उस न्यायालय को लौटा देनी चाहिये थी जिस न्यायालय से पत्रावली प्राप्त हुई थी। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना किसी लिखित राजीनामे के गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए अपरिपक्व पत्रावली को निरस्त किये जाने के निर्णय व आदेश पारित किये है, जिसके विरुद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादी ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध इन्द्राज दुरस्ती घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को अस्वीकार किया व यह निवेदन किया कि अपीलान्ट वादी स्वयं ने उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से प्रकरण मे निर्णय चाहा है। अपीलान्ट वादी के खसरा नम्बर हाल आराजी नम्बर 152,153 व 167 कुल किता 3 कुल रकबा 1.17 हैक्टेयर दर्ज रेकार्ड है। जो साबिक आराजी नम्बर 79 व 80 कुल रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा से बने है। मिलान क्षैत्रफल एवं गत भू-प्रबन्ध तथा वर्तमान भू-प्रबन्ध के नक्शे के मिलान से गत भू-प्रबन्ध के मुकाबले हाल भू-प्रबन्ध मे रकबा 0.10 हैक्टेयर अपीलान्ट वादी के बेसी हुआ है। जिससे अपीलान्ट वादी कमी रकबा पूर्ति कराये जाने का अधिकारी नही है। अन्त मे अपील अपीलान्ट निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादी की ओर से रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया गया जो दर्ज रजिस्टर

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

किया जाकर रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण सम्मन नोटिस की पालना मे पैरोकार सरकार के जरिये उपस्थित हुए। दिनांक 27.11.2012 को अपनी ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया, पत्रावली वास्ते कायमी तनकियात नियत की गई। आगामी तारीख पेशी दिनांक 08.09.2015 वास्ते कायमी तनकियात नियत थी, उससे पूर्व दिनांक 01.06.2015 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट पावटिया मे नियत की जाकर अपीलान्ट वादी की उपस्थिति दर्ज कर बिना किसी लिखित राजीनामे के बिना साक्ष्य व सबुत के गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट वादी का वादपत्र साबित नही होना मानते हुए निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से व राजस्व लोक अदालत की मंशा के प्रतिकूल होने से अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट वादी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन के प्रकरण संख्या 213/2011 रेवेन्यू वाद मे पारित निर्णय व आदेश दिनांक 01.06.2015 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पत्रावली मे उभयपक्षो के अभिवचनो के अनुसार तनकियात कायम की जाकर उभयपक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दिवानी की पालना करते हुए तनकीवार अजसरे नव निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु 06.02.2023 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज0)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)